पत्र संख्या/एफ0टी0. 48–5104/2020(एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्राप्तः क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगवुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–1710001

दिनांक शिमला–1 18 JUN 2022

विषयः **Diversion of 1.00 hectare of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Jogindernagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/SCH/49067/2020).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPB/09/15/2021 दिनांक 10/02/2022 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। न भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।
3. **प्रतिपुरक वनीकरणः**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2000 टाल प्लाटं का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।

   (ख) (i) सी0ए0 के सही खसरा नम्बर की जानकारी प्रदान की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।
   (ii) वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
   (iii) प्रतिपूरक वनीकरण उपरोक्त प्रस्ताव के लिए DPF Chhej Khoblat Forest, Beat/Block/Range Dharmapur में प्रस्तावित हैं तथा अन्य किसी प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण की Polygon की साफ्ट कापी संलग्न है।
4. प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है।
5. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक पर निर्णय लेने के पश्चात ही अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के आदेश जारी करेगी।
6. **शुद्व वर्तमान मूल्यः**
   क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। प्रति संलग्न है।

   (ख) बचन बधता संलग्न है।
7. शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।
8. The NPV calculation has been revised and calculated in accordance with MoEF & CC, GoI letter No. 06.01.2022. The amount of NPV has been accordingly deposited in Ad-hoc CAMPA by the user agency. The bill of NPV has already been uploaded with the demand letter in online web portal.
9. इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।

10. The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the e-green watch portal. Undertaking in this regard, is enclosed herewith.
11. प्रयोकता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख रेख में रोपित कर Greenery का maintain करने के लिए undertaking संलगन है।
12. एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण ने सहमति जताई है कि प्रस्तावित वन भूमि पर पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जाएगा।
14. आस पास के क्षेत्रों के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई भी नुकसान नहीं पहूंचाया जाएगा।
15. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोंटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता ऐजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी **567880/– रु0**, आक्समिक व्यय की राशी **रु0 28394/–** जो कुल **596274/– रु0** बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है। एन0पी0वी की राशी को भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.01.2022 जारी निर्देशों के अनुसार वसूल नहीं किया गया है।
16. इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
17. केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।
18. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्वता संलगन है।
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।
20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपोग नहीं किया जाएगा।
21. केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।
22. इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता संलग्न है।
23. इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता संलग्न है।
24. इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता संलग्न है।
25. इनमें से किसी भी शर्त का या वनं संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की गई कार्यावाही मान्य है।
26. अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्त

नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :--

1. कि प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रखने के लिए बाध्य होगा।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-   मण्डी   25 अप्रैल, 2022

C/S

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayaiya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

2. कि प्रयोक्ता अभिकरण को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आवश्यक गैर वन भूमि को सक्षम अधिकारी द्वारा सौंप दिया जा चुका है ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

<u>वचनबद्धता प्रमाण</u>

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

3. (क) कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 2000 tall plants का पौधारोपण कार्य compartment/ Survey no. 53A/09, DPF Chhej khobla, Forest Beat/RangeBlock Dharampur, Joginder Nagar Forest Division, Tehsil Dharampur, Distt Mandi, Himachal Pradesh में करने हेतु बाध्य होगा । इसके अतिरिक्त इनके दस वर्षों तक रख– रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ of 2000 पौधे (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा करवा दी गई है । कुल रू0 7,00,622/– चालान के माध्यम से जमा करवा दिए गए हैं । चालान की प्रतियां संलग्न की जाती हैं । जहां तक व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा ताकि प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बच जाये ।

(ख) (1). कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी0ए0 क्षेत्र के सही Compartment No./खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

E-CHALLAN

Government Of HImachal Pradesh

Department of Finance — Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid Upto 12-Apr-2022 **Remmiter Copy**

HIMGRN **B22D109684** Date 06-04-2022 11:31:47AM

Department Forest

BarCode

Period 06-04-2022 To 16-04-2022

DDO MDI00-818- FOREST DIVISION J.NAGAR(WANDP)

Head	₹Amount
0406-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT	104348

Total/Net Amount **104348**

In words One Lakh Four Thousand Three Hundred Forty Eight

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN no.

OTHER MISCELLANEOUS RECEIPTS -Departmental charges on CA(C/O K.V. at Dharampur)

Remitter Name:- DDHE Mandi

Address:- O/O Dy. Director of Higher Education, Mandi, Distt. Mandi Mob: 1905222118

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No **HIMGRN** B22D109684

Amount ₹ **104348**

Bank MANAGER, SBI MANDI

Cheque-DD-No.

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India मण्डी (हि०प्र०)/Mandi (H.P.) 0676

B22D109684 08 APR 2022 Challan (IFMS)

Maker PRADEEP KUMAR 8077258 Checker

NIC-HP

Dy. Director of Higher Education
Mandi, Distt. Mandi (H.P.)

Name of Proposal: Diversion of 1.00 ha. Forest Land in favour of Diorector of Higher Education, HP for the constrction of Kendriya Vidayalya Dharampur in Tehsil Dharampur, Distt. Mandi, Hp with in the jurisdiction of Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, HP.

File No. No.FP/HP/SCH/ 49067/2020).

(Point No. 3 (ख) (i) & (ii)

CERTIFICATE FOR AFFORESTATION

It is hereby certified that previously no afforestation of any scheme has been carried out in the propsed area for compensatory comprising khasra No. 1774/1631/1 in DPF Chhej Khobla , Dharampur Beat, Dharampur Block of Dharampur Range.

Place: Joginder Nagar.
Date: 30-04-2022 .

Divisional Forest Officer,
Forest Division, Joginder Nagar.

Name of Proposal: Diversion of 1.00 ha. Forest Land in favour of Diorector of Higher Education, HP for the constrction of Kendriya Vidayalya Dharampur in Tehsil Dharampur, Distt. Mandi, Hp with in the jurisdiction of Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, HP.

File No. No.FP/HP/SCH/ 49067/2020).

POINT NO. 3 (क)

UNDERTAKING

It is hereby undertaking that the 2000 tall plants compensatory afforestation shall be done in degraded forest land in Survey No. 53A/09, DPF Khobla, Forest Beat/ Block/ Range Dharampur Forest Division Joginder Nagar, Distt. Mandi, HP by Forest Department at the cost of user agency and as far as practical , local Swadeshi species shall be planted and plantation of single species shall be avoided.

Place: Joginder Nagar.
Date: 30-04-2022.

Divisional Forest Officer,
Forest Division, Joginder Nagar.

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

4. कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा करवा दी गई है । कुल रू0 7,00,622/– चालान के माध्यम से जमा करवा दिए गए हैं । चालान की प्रतियां संलग्न की जाती हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण दस वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित करने हेतु बाध्य होगा एवं इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृध्दि हेतु उपयुक्त प्रावधान कर दिए जा चुके है ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

6(क) कि इस सबंध में भारत के माननीय सर्वोच न्यायालय के WP (C) संख्याः 202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006––एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006, 5–2 / 2007--एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं 5–3 / 2011–FC (Vol–1), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.00 ha वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि जमा करवा दी गई है । कुल रू0 7,00,622 / – चालान के माध्यम से जमा करवा दिए गए हैं । चालान की प्रतियां संलग्न की जाती हैं ।

(ख) कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, राशि जमा करवा दी जाएगी ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

...ional Forest Officer
...der Nagar Forest Division
...nder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

7. कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दरों में भविष्य में अगर कोई बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

C/S
Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Undertaking

I, Sudesh Kumar Thakur, presently working as Dy. Director (Higher Education), Mandi, Distt. Mandi do hereby undertake as under :-

8. That in the event of reviewing and revising the NPV caluclation sheet in accordance with MoEF & CC letter dated 6-01-2022 by the state Government for the purpose of obtaining adminstrative approval for Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh, the same shall be uploaded on PARIVESH portal.

(Sudesh Kumar Thakur)
Dy. Director of Higher Education,
Mandi, District Mandi HP

Dated Mandi the 25 April, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

9. कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 05–03/2011–FC (Vol-1) दिनांक 06--01–2022 के अनुसार (एन0पी0वी0) दरों में संशोधन किया गया है । यदि मंत्रालय द्वारा भविष्य में उक्त आदेशों में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण (NPV) राशि जमा करवाने के लिए बाध्य होगा।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Undertaking

I, Sudesh Kumar Thakur, presently working as Dy. Director (Higher Education), Mandi, Distt. Mandi do hereby undertake as under :-

10. That KML files of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh, to be diverted, the CA area, the proposed SMC work, the proposed catchment area, treatment area and the WLMP area has been uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards liner projects or submitting compliance report for seeking stage-II approval.

(Sudesh Kumar Thakur)
Dy. Director of Higher Education,
Mandi, District Mandi HP

Dated Mandi the 25 April, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Name of Proposal: Diversion of 1.00 ha. Forest Land in favour of Diorector of Higher Education, HP for the constrction of Kendriya Vidayalya Dharampur in Tehsil Dharampur, Distt. Mandi, Hp with in the jurisdiction of Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, HP.

File No. No.FP/HP/SCH/ 49067/2020)..

POINT NO. 10.

UNDERTAKING

It is hereby undertaking that the KML file of the area to be diverted, the CA area proposed for compensatory afforestation will be upload on the e-Green watch portal with all requisite details.

Place: Joginder Nagar.
Date: 30/04/2022.

Divisional Forest Officer,
Forest Division, Joginder Nagar.

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

11. कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अपने व्यय पर अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख–रेख में रोपित कर हरियाली सुनिश्चित करने बाबत बाध्य होगा।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :-

12 कि प्रयोक्ता अभिकरण एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिलाधीश मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः- मण्डी 25 अप्रैल, 2022

C/s Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

<u>वचनबद्धता प्रमाण</u>

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

13. कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों के शून्य पातन करने के लिए बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

14. कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि के आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचानें के लिए बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:-- मण्डी 25 अप्रैल, 2022

C/S Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

15. कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवाए गए धन को ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा करवा दिए गए है ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

UTR No -> PUNBH22097159033

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-04-2022

Agency Name.	DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION
Application No.	6249067529
MoEF/SG File No.	FC/HPB/09/14/2021
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION, LALPANI SHIMLA, HPShimla
Amount(in Rs)	596274/-

Amount in Words :Five Lakh Ninety-Six Thousand Two Hundred and Seventy-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150706249067529 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
Email: cb0371@unionbankofindia.com

00227051253416

Dy. Director of Higher Education
Mandi, Distt. Mandi (H.P.)

<u>वचनबद्धता प्रमाण</u>

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

16. कि प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि पर्यावरणीय स्वीकृति लेना आवश्यक होगा, को प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

C/s
Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

17. कि प्रयोक्ता अभिकरण बाध्य होगा कि केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदलेगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

18. कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने लिए बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

19. कि प्रयोक्ता अभिकरण मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन देने हेतु बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

20. कि प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरीक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लाने हेतु बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

C/S Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :—

21. कि प्रयोक्ता अभिकरण केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करने के लिए बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:— मण्डी 25 अप्रैल, 2022

C/s Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :—

22. कि प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्तों की पूर्ण रूप से अनुपालना करने के लिए बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः— मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

23. कि प्रयोक्ता अभिकरण परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर करने हेतु एवं इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंके जाने के लिए बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांक:– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

24 कि प्रयोक्ता अभिकरण यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है जिसके अधीन जरूरी अनुमति लेना आवश्यक होगा को प्राप्त करने हेतु बाध्य होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण

मैं, सुदेश कुमार ठाकुर, उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्वारा **Diversion of 1.00 ha of forest land in favour of Director of Higher Education, H.P. for the construction of Kendriya Vidayalya in Tehsil Dharampur, within the jurisdiction of Joginder Nagar Forst Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh** हेतु, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए वचन देता हूं :–

25. कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभिन्न शर्तों की अनुपालना हेतु दी गई वचनबद्धताओं में से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मत्रांलय के दिशानिर्देश फाइल संख्याः 11--42/2017--FC दिनांक 29.01.2018 में दर्शाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवश्यक कार्यावाही अम्ल में लाई जाने हेतु सम्बन्धित विभाग हर प्रकार से मुक्त होगा ।

(सुदेश कुमार ठाकुर)
उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), मण्डी,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

दिनांकः– मण्डी 25 अप्रैल, 2022

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)